# फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

ताराचन्द आदि बनाम सरकार आदि

प्रकरण सं0......132....... / 2023

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|
| | दिनांक 14/5/24 को पेश हो<br>उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ |
| 14/5/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उप. पत्रावली में दस्तावेज पेश की गई जिन्हें शामिल मिसल किया गया। वकील पार्टी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 20/5/24 को पेश हो<br>उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ |
| 20/5/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उप. पत्रावली मय [illegible]। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। अतः पार्टियों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 रा. का. अधि. में स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया।<br>निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>पत्रावली कोर्ट से [illegible] बाद तामील हो तथा बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो<br>उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ |

(Y2)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
## पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

| मिसल नं. | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 132 / 2023 | 11 / 08 / 2023 | 20.05.2024 |

1. ताराचन्द पुत्र सूजाराम
2. कैलाश पुत्र सूजाराम
3. पूरणमल पुत्र सूजाराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी सिरोही, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

**प्रार्थीगण**

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राजस्थान ।

**अप्रार्थी**

**उपस्थित अभिभाषक**

श्री महेश शर्मा – वकील प्रार्थीगण।
पैराकार सरकार – उपस्थित।

**प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा तरमीम दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट**

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चिलपली पटवार हल्का बहलोड तहसील आंधी जिला जयपुर मे कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 11 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 26 रकबा 0.35 है0 के हाल नवीन खसरा नम्बर 432 / 26, 433 / 26, 434 / 26, 435 / 26 प्रार्थीगण के खातेदारी अनुसार स्थित चली आ रही है जिनमें से खसरा 432 / 26 रकबा 0.20है0 भूमि प्रार्थीगण के सहखातेदारी में अंकित है तथा खसरा नम्बर 25 रकबा 6.58है0 भूमि स्थित है। उक्त वर्णितानुसार भूमि के हाल सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान साबिक राजस्व नक्शों व प्रार्थी के कब्जे काश्त व हक सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान साबिक राजस्व नक्शों व प्रार्थी के कब्जे काश्त व हक अधिकार खातेदारी के विरूद्व त्रुटिपूर्ण नक्शा तरमीम होने से आगे विवादित आराजीयात है। दौराने हाल नवीन सैटलमेंट कार्यवाही में सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी के तरमीमशुदा साबिक खसरा नम्बर 11 के नक्शेनुसार उत्तर–पूर्व की भूमि को वर्तमान खसरा नम्बर 25 के राजस्व नक्शें में शामिल कर त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया। जो कि खसरा नम्बर 26 के राजस्व नक्शें को साबिक नक्शें व खातेदारी के रकबा बरारी के विपरीत त्रुटिपूर्ण तरमीम करते हुए खसरा नम्बर 25 के राजस्व नक्शें में प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 26 की भूमि को शामिल कर तरमीम किया गया है। जो कि उक्त विवादित भूमि के राजस्व नक्शों की तरमीम साबिक कब्जे काश्त साबिक राजस्व नक्शें एवं प्रार्थी के विधिक हक अधिकारों के विपरीत त्रुटिपूर्ण तरमीम से मौके पर कब्जे को लेकर विवाद होना सम्भावित है। अतः साबिक खसरा नम्बर 11 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा के राजस्व नक्शें को मध्य नजर रखते हुए निर्णय किया जाकर ग्राम चिलपली में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 0.35है0 के नवीन खसरा नम्बर 432 / 26, 433 / 26, 434 / 26, 435 / 26 के वर्तमान राजस्व नक्शों को व साबिक नं0 11 के राजस्व नक्शें एवं खातेदारी के रकबा बरारी मुताबिक तरमीम करने के आदेश दिया जावें एवं तदानुसार खसरा नम्बर 25 के राजस्व नक्शें में दुरूस्तीकरण करने के आदेश दिया जावें।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (पेरोकार सरकार तहसीलदार) ने उपस्थित होकर अपने पत्र कमांक/ आर.टी./2024/258 दिनांक 28.03.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 26 की हाल नक्शें में तरमीम साबिक नक्शें के मुताबिक है। हाल नक्शें में उक्त खसरा नम्बर 26 की रकबा बरारी करने पर 0.32है0 रकबा प्राप्त होता है। जो जमाबन्दी रकबे से 0.03है0 कम है।

वकील प्रार्थीगणों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम चिलपली, पटवार मण्डल बहलोड, तहसील आंधी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 0.35है0 के नवीन खसरा नम्बर 432/26, 433/26, 434/26, 435/26 के वर्तमान राजस्व नक्शें की रकबा बरारी करते हुये साबिक नक्शें अनुसार तरमीम दुरूरस्त करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 20.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़